

1 अपराधिक प्रकरण क्रमांक:-1415 / 2015

न्यायालय:- प्रतिष्ठा अवस्थी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद, जिला भिण्ड (म0प्र0)

अपराधिक प्रकरण क्रमांक:-1415 / 2015

संस्थित दिनांक:- 29.12.2015

शासन द्वारा पुलिस आरक्षी केंद्र,
गोहद जिला-भिण्ड म0प्र0

अभियोजन

बनाम्

1. सतेंद्र सिंह पुत्र विजय सिंह गुर्जर, उम्र-27 साल
निवासी-ग्राम सिरसौदा, थाना गोहद, जिला भिण्ड म.प्र.

आरोपी

(आरोप अंतर्गत धारा-25 (1-बी) (बी) आयुद्ध अधिनियम)

(राज्य द्वारा एडीपीओ - श्रीमती हेमलता आर्य)

(आरोपी द्वारा अधि0 - श्री उदय सिंह गुर्जर)

// निर्णय //

// आज दिनांक 24/01/2018 को घोषित किया //

आरोपी पर दिनांक 23.12.15 को 14.40 बजे गोलम्बर तिराहा गोहद जिला भिण्ड में लोक स्थान पर आयुद्ध अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत जारी मध्य प्रदेश शासन की अधिसूचना क्रमांक 6312-6552-11-बी (1) दिनांक 22.11.1974 के उल्लंघन में वैध अनुज्ञप्ति के बिना एक निषेधित आकार का लोहे का धारदार छुरा अपने अधिपत्य में रखने हेतु आयुद्ध अधिनियम की धारा 25 (1-बी) (बी) के अंतर्गत आरोप है।

2. संक्षेप में अभियोजन घटना इस प्रकार है कि दिनांक 23.12.15 को थाना गोहद के प्रधान आरक्षक श्याम करन शर्मा को मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी कि गोलम्बर तिराहा गोहद में एक व्यक्ति छुरा लिये खड़ा है। मुखबिर की सूचना की तत्पश्चात् हेतु वह गोलम्बर तिराहा पहुँचा था, तो वहाँ एक व्यक्ति पुलिस को देखकर भागने लगा था जिसे घेरकर पकड़ा था नाम पता पूछने पर उस व्यक्ति ने अपना नाम सतेंद्र सिंह बताया था। गवाह धीरसिंह एवं रामकुमार शर्मा के समक्ष उसकी तलाशी ली थी तो उसकी कमर में एक छुरा खुर्सा हुआ मिला था। आरोपी के पास छुरा रखने बाबत लाइसेंस नहीं था। उसने मौके पर ही आरोपी से छुरा जप्त कर जप्ती एवं आरोपी को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी की कार्यवाही की थी। तत्पश्चात् थाना वापिस आकर उसने आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 444 / 15 पर अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया था। विवेचना के दौरान साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किये गये थे एवं विवेचना पूर्ण होने पर अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था।

2 अपराधिक प्रकरण क्रमांक:-1415/2015

3. उक्तानुसार आरोपी के विरुद्ध आरोप विरचित किये गये आरोपी को आरोप पढकर सुनाये व समझाये जाने पर आरोपी ने आरोपित अपराध से इंकार किया है व प्रकरण में विचारण चाहा है आरोपी का अभिवाक अंकित किया गया ।

4. दं०प्र०सं० की धारा 313 के अन्तर्गत अपने अभियुक्त परीक्षण के दौरान आरोपी ने कथन किया है कि वह निर्दोष है उसे प्रकरण में झूठा फंसाया गया है

5. इस न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित विचारणीय प्रश्न उत्पन्न हुआ है :-

1. क्या आरोपी ने दिनांक 23.12.15 को 14.40 बजे गोलम्बर तिराहा गोहद जिला भिण्ड में लोक स्थान पर आयुध अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत जारी अधिसूचना के उल्लंघन में बंध अनुपत्ति के बिना एक निषेधित आकार का लोहे का धारदार छुरा अपने अधिपत्य में रखा?

6. उक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में अभियोजन की ओर से साक्षी रामकुमार अ.सा. 01, धीरसिंह अ.सा. 02 एवं सेवानिवृत्त प्रधान आरक्षक श्यामकरन शर्मा अ.सा. 03 को परीक्षित कराया गया है जबकि आरोपी की ओर से बचाव में किसी भी साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया है ।

{ निष्कर्ष एवं निष्कर्ष के कारण }

विचारणीय प्रश्न क्र०-1

7. उक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में सेवानिवृत्त प्रधान आरक्षक श्यामकरन शर्मा अ.सा. 03 जो कि जप्तीकर्ता है ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में व्यक्त किया है कि दिनांक 23.12.15 को दौरान कस्बा गस्त उसे मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति गोलम्बर तिराहा गोहद में छुरी लिये खड़ा है। वह आरक्षक रायसिंह के साथ घटना स्थल पर पहुंचा था तो एक व्यक्ति पुलिस को देखकर भागने लगा था जिसे घेरकर पकड़ा था। साक्षी रामकुमार शर्मा एवं धीरसिंह जाटव के समक्ष उसकी तलाशी ली थी तो आरोपी कमर में एक छुरी खुर्से हुये मिला था। नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम सतेन्द्र सिंह गुर्जर बताया था। आरोपी के पास छुरी रखने बाबत लाइसेंस नहीं था। आरोपी से उसने मौके पर ही छुरी जप्त कर जप्तीपंचनामा प्रदर्श पी 01 बनाया था जिसके सी से सी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसने आरोपी को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्र०पी 02 बनाया था जिसके सी से सी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। तत्पश्चात वह आरोपी को मय माल थाना वापस लेकर आया था एवं रोजनामने में वापसी इन्द्राज की थी। रोजनामचा प्र०पी 05 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। तत्पश्चात उसने आरोपी के विरुद्ध प्र पी 6 की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की थी जिसके ए से ए भाग के मध्य उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त दिनांक को ही उसने साक्षी धीरसिंह एवं राजकुमार शर्मा के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये थे। उक्त साक्षी ने यह भी व्यक्त किया है कि आर्टिकल ए-1 का छुरा वही छुरा है जो उसने आरोपी से मौके पर जप्त किया था। प्रतिपरीक्षण के पद क्रमांक 2 में उक्त साक्षी ने व्यक्त किया है कि जब वह गोलम्बर आया था तो उसके साथ केवल आरक्षक राय सिंह थे। पद क्र. 3 में उक्त साक्षी का कहना है कि उसने छुरे की लम्बाई लेने के लिए टेलर से पैमाना ले लिया था उसके बाद उसने छुरे का भी पैमाना लिया था।

8. साक्षी रामकुमार अ.सा.1 एवं धीर सिंह अ.सा.2 ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया है एवं घटना की जानकारी न होना बताया है। साक्षी रामकुमार अ.सा.1 ने जप्तीपंचनामा प्र.पी.1 एवं गिरफ्तारी पंचनामा प्रदर्श पी 2 के क्रमशः ए से ए भाग पर तथा साक्षी धीर सिंह अ.सा.2 ने जप्तीपंचनामा प्र.पी.1 एवं गिरफ्तारी पंचनामा प्र.पी.2 के क्रमशः बी से बी भाग पर अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार किया है। उक्त दोनों ही साक्षीगण को अभियोजन द्वारा पक्षविरोधी

3 आपराधिक प्रकरण क्रमांक:-1415/2015

घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उक्त दोनों ही साक्षीगण ने अभियोजन के इस सुझाव से इंकार किया है कि पुलिस ने उनके सामने आरोपी को गिरफ्तार किया था एवं इस सुझाव से भी इंकार किया है कि पुलिस ने उनके सामने आरोपी से लोहे की छुरी जप्त की थी। साक्षी रामकुमार अ.सा.1 ने प्रदर्श पी 3 का पुलिस कथन एवं साक्षी धीर सिंह अ.सा.2 ने प्र.पी.4 का पुलिस कथन भी पुलिस को देने से इंकार किया है।

9. तर्क के दौरान बचाव पक्ष अधिवक्ता द्वारा यह व्यक्त किया गया है प्रस्तुत प्रकरण में स्वतंत्र साक्षियों द्वारा अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया गया है। अतः अभियोजन घटना संदेह से परे प्रमाणित होना नहीं माना जा सकता।

10. प्रस्तुत प्रकरण में सेवानिवृत्त प्रधान आरक्षक श्यामकरण शर्मा अ.सा.3 ने अपने कथन में यह बताया है कि घटना वाले दिन उसे दौराने कस्बागस्त मुखबिर के द्वारा आरोपी के संबंध में सूचना मिली थी तो वह आरक्षक रायसिंह के साथ घटना स्थल पर पहुंचा था एवं आरोपी से छुरी जप्त की थी, परंतु उक्त संबंध में कोई रोजनामाचा खानगी सान्हा अभियोजन द्वारा अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं किया गया है। प्र.पी.6 की प्रथम सूचना रिपोर्ट के कॉलम नं. 3 में भी रोजनामचा सान्हा का क्रमांक रिक्त है। यद्यपि रोजनामचा वापसी की प्रति प्र.पी.5 अभियोजन द्वारा अभिलेख पर प्रस्तुत की गयी है, परंतु अभियोजन द्वारा रोजनामचा खानगी सान्हा अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं किया गया है। यह तथ्य अभियोजन घटना को संदेहास्पद बना देता है।

11. जप्तीकर्ता श्यामकरण शर्मा अ.सा.3 ने अपने कथन में यह भी बताया है कि मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त होने पर वह आरक्षक रायसिंह के साथ घटना स्थल पर पहुंचा था जहां एक व्यक्ति पुलिस को देखकर भागने लगा था, जिसे घेरकर पकड़ा था और उससे छुरी जप्त की थी। इस प्रकार श्यामकरण शर्मा अ.सा.3 के कथनों से यही प्रकट होता है कि श्यामकरण शर्मा ने आरोपी से आरक्षक रायसिंह के समक्ष छुरी जप्त की थी, परंतु आरक्षक रायसिंह को प्रकरण में गवाह नहीं बनाया गया है। जप्तीपंचनामा प्र.पी.1 पर भी आरक्षक रायसिंह के हस्ताक्षर नहीं हैं। यह तथ्य भी अभियोजन घटना को संदेहास्पद बना देता है।

12. जप्तीकर्ता श्यामकरण शर्मा अ.सा.3 ने अपने कथन में आरोपी से छुरी जप्त करना बताया है, परंतु उक्त साक्षी द्वारा जप्तशुदा छुरी की लम्बाई-चौड़ाई उसके आकार-प्रकार उसके पहचान के संबंध में कोई कथन नहीं किया गया है। उक्त साक्षी द्वारा यह भी नहीं बताया गया है कि जप्तशुदा छुरी धारदार थी अथवा नहीं। उक्त साक्षी द्वारा जप्तशुदा छुरी के मौके पर शीलबंद किये जाने के संबंध में भी कोई कथन नहीं किया गया है। प्र.पी.1 के जप्तीपंचनामे में भी जप्तशुदा छुरी के मौके पर शीलबंद किये जाने का कोई उल्लेख नहीं है। जप्तीपंचनामा प्र.पी.1 में भी जप्तशुदा छुरी की पहचान के संबंध में कोई वर्णन नहीं किया गया है। प्र.पी.1 के जप्तीपंचनामे में जप्तशुदा छुरी के धारदार होने का भी कोई उल्लेख नहीं है। उपरोक्त सभी तथ्य अभियोजन घटना को संदेहास्पद बना देते हैं।

13. श्यामकरण शर्मा अ.सा.3 ने अपने कथन में साक्षी रामकुमार शर्मा एवं धीरसिंह जाटव के समक्ष आरोपी से छुरी जप्त करना बताया है, परंतु साक्षी रामकुमार अ.सा.1 एवं धीर सिंह अ.सा.2 द्वारा अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया गया है एवं इस तथ्य से इंकार किया गया है कि पुलिस ने उनके सामने आरोपी से छुरी जप्त की थी। इस प्रकार जप्तीकर्ता श्यामकरण शर्मा अ.सा.3 के कथन का समर्थन कथित जप्तीपंचनामे के साक्षी रामकुमार अ.सा.1 एवं धीर सिंह अ.सा.2 द्वारा भी नहीं किया गया है। यह तथ्य भी अभियोजन घटना को संदेहास्पद बना देता है।

14. उपरोक्त चरणों में की गयी समग्र विवेचना से यह दर्शित है कि प्रकरण में स्वतंत्र

4 अपराधिक प्रकरण क्रमांक:-1415/2015

साक्षियों द्वारा जप्ती की कार्यवाही का समर्थन नहीं किया गया है। जप्तीकर्ता श्याम करण शर्मा अ.सा.3 के कथन भी विश्वास योग्य नहीं हैं। ऐसी स्थिति भी अभियोजन घटना संदेह से परे प्रमाणित होना नहीं माना जा सकता है।

15. यह अभियोजन का दायित्व है कि वह आरोपी के विरुद्ध अपना मामला संदेह से परे प्रमाणित करे। यदि अभियोजन आरोपी के विरुद्ध मामला संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहता है तो संदेह का लाभ आरोपी को दिया जाना उचित है।

16. प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि आरोपी ने दिनांक 23.12.2015 को 14:40 बजे गोलम्बर तिराहा गोहद जिला भिण्ड में लोक स्थान पर आयुध अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत जारी मध्यप्रदेश शासन की अधिसूचना के उल्लंघन में वैध अनुज्ञप्ति के बिना एक निषेधित आकार का लोहे का धारदार छुरा अपने आधिपत्य में रखा। फलतः यह न्यायालय आरोपी सतेंद्र सिंह को संदेह का लाभ देते हुए उसे आयुध अधिनियम की धारा 25(1-बी)(बी) के आरोप से दोषमुक्त करती है।

17. आरोपी पूर्व से जमानत पर है उसके जमानत एवं मुचलके भारहीन किये जाते हैं।

18. प्रकरण में जप्तशुदा लोहे की छुरी मूल्यहीन होने से अपील अवधि पश्चात् तोड़-तोड़ कर नष्ट की जावे। अपील होने की दशा में माननीय अपील न्यायालय के निर्देशों का पालन किया जावे।

स्थान गोहद

दिनांक:-24.01.2018

निर्णय हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर,
खुले न्यायालय में घोषित किया गया

मेरे निर्देशन पर टाईप किया

सही / -

(प्रतिष्ठा अवस्थी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
गोहद जिला भिण्ड (म0प्र0)

सही / -

(प्रतिष्ठा अवस्थी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
गोहद जिला भिण्ड (म0प्र0)